2018/00756

मि0न0 17/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम कन्हैयालाल पुत्र धन्नालाल जाति बलाई निवासी दीगोद

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08-11-19 | पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि गत खसरा नं0 1428 हाल ख0न0 1471 ग्राम दीगोद तहसील दीगोद की मुताबिक एकीकरण सेटलमेन्ट खतोनी सम्वत् 2013–2032 में खाता सरकार किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। उक्त आराजी सम्वत् 043 से कन्हैयालाल पुत्र धन्नालाल जाति बलाई निवासी दीगोद के नाम दर्ज हो गई है। अतः खाता सं0 780 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित मे भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब पूर्ववत दर्ज करने का निवेदन किया गया।<br><br>उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट व रजिस्ट्री डाक पर अंकित रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है। इस न्यायालय के पत्र क्रमांक /रीडर/एडीएम/2019/1061 दिनांक 29.10.2019से लिखे जाने पर भी मृतक के कायम मुकामान की सूची प्राप्त नहीं हुई है। जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नहीं है।<br><br>अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद अप्रार्थी के वारिसान की जांच कर वासियान के नाम व सही पते अंकित करते हुए पुनःनये सिरे से उक्त रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।<br><br>अति0 जिला कलक्टर<br><br>कोटा | |